रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 | भारत सरकार | REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 19, 2001/आश्विन 27, 1923 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 243

No. 173] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 2001/ASVINA 27, 1923 [N.C.T.D. No. 243

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

योजना विभाग

(संवर्ग नियंत्रक ईकाई)

अधिसूचना

दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2001

सं. फा. 9(85)/89-यो./1716.—गृह मंत्रायल, भारत सरकार के दिनांक 24-9-68 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68/डी.एच. (एस.) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल :—

1. इस सरकार के योजना विभाग में संयुक्त निदेशक (योजना) के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती पद्धति एवं आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

2. इस सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक 26-10-99 की अधिसूचना सं. फा. 9(85)/89-यो./8368-70 के अनुसार योजना विभाग संयुक्त निदेशक (योजना) के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

राहुल खुल्लर, सचिव (योजना)

अनुसूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन 12,000-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (योजना) के पद के भर्ती नियम :

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या के.सि.से. नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त निदेशक (योजना)	2* (2001) *इनमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	12,000-375-16,500 रु.	मैरिट द्वारा चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
11	12
प्रतिनियुक्ति	पदोन्नति :— उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित टीप : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
13	14
समूह "क" वि.पदों सं. (पदोन्नति के लिए विचारणीय) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, (सेवा), रा.रा.क्षे. दि. सरकार —सदस्य 3. संबंधित सचिव, रा.रा.क्षे. दि. सरकार —सदस्य 4. संघ विभागाध्यक्ष, जब तक रा.रा.क्षे.दि. सरकार में पदेन सचिव न हो। —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

PLANNING DEPARTMENT

(Cadre Controlling Unit)

NOTIFICATION

Delhi, the 19th October, 2001

No. F. 9 (85)/89-Plg./1716.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24/78/68/DH(S) dated 24-9-68, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to :—

(i) Make the rules in the Schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Joint Director (Plg.) in the Planning Department of this Government.

(ii) Cancel the recruitment rules for the post of Joint Director (Planning) in the Planning Department of this Government notified vide Notification No. F. 9(85)/89-Plg/8368-70 dated 26-10-99.

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

RAHUL KHULLAR, Secy. (Plg.)

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Joint Director (Planning) in the pay scale of Rs. 12,000-16,500 in the Govt. of NCT of Delhi, Delhi.

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post
1	2	3	4	5
Joint Director (Plg.)	2* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted	Rs.12,000-375-16,500	Not applicable

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, Grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Promotion	**Promotion :** Deputy Director (Planning/Statistics) with 5 years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' DPC (for considering promotion) 1. Chairman/Member, UPSC —Chairman 2. Secretary (Services) Govt. of NCT of Delhi —Member 3. Secretary Concerned in Govt. of NCT of Delhi —Member 4. Head of the Department Concerned unless he is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1001

सं. फा. 17/3/2001-प्र.सु./11653—11952.—दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम, 2001 (2001 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 15 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :—

नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:**—(1) इन नियमों को दिल्ली सूचना अधिकार नियम, 2001 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे

2. **परिभाषाएं:**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' का अर्थ दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम, 2001 (2001 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) से है,

(ख) 'प्राधिकृति व्यक्ति' का अर्थ नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क स्वीकार करने के लिये सक्षम प्राधिकरी द्वारा नामांकित व्यक्ति से है,

(ग) 'प्रपत्र' का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्रों से है, तथा

(घ) 'धारा' का अर्थ अधिनियम की धारा से है,

(2) प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यंजना जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है उनका वही अर्थ होगा, जो अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें दिया गया है।

3. जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र:—अधिनियम के अन्तर्गत सूचना पाने के लिए कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के पास प्रपत्र ''क'' में एक आवदेन पत्र देगा तथा नियम 8 के अनुसार आवेदन शुल्क प्राधिकृत व्यक्ति के पास जमा कराएगा। सक्षम प्राधिकारी फार्म ''क'' में यथा उपबंधित आवदेन पत्र प्राप्त करने की विधिवत पावती देगा।

शर्त यह है कि इलैक्ट्रोनिक रूप से अनुरोध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि इलैक्ट्रोनक रूप के द्वारा किये गये अनुरोध से सात दिन के भीतर प्राधिकृत व्यक्ति के पास अपेक्षित शुल्क नकदी के रूप मे जमा करा दिया गया है, यह शुल्क जमा ना होने पर उसका आवेदन पत्र आवेदक द्वारा वापिस लिया माना जाएगा।

4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निपटान :—(1) यदि मांगी गई सूचना सक्षम प्राधिकरी के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, तो वह प्रपत्र ''ख'' में आवेदक को आवेदन पत्र लौटाने के लिये यथाशीघ्र परन्तु सामान्यत: 15 दिन के भीतर और किसी भी दशा में आवेदन पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर आदेश करेगा, जहां तक संभव हो आवेदक को, जिस सक्षम प्राधिकारी के यहाँ आवदेन पत्र दिया जाना है उसके बारे में सलाह देगा। ऐसी स्थिति में जमा कराया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।

(3) यदि मांगी गयी सूचना सक्षम प्राधिकरी के क्षेत्राधिकार में पड़ती है तथा अधिनियम की धारा 6 में सूचीबद्ध प्रतिबंधित श्रेणियों की एक या अधिक श्रेणियों में आती हैं, तो सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट होने पर यथाशीघ्र एवं यथा-व्यवहार्य प्रपत्र ''ग'' में अस्वीकृति आदेश सामान्य: 15 दिन के भीतर तथा किसी भी दशा में आवेदन पत्र प्राप्ति के तीस दिन के भीरत जारी करेगा।

(3) यदि मांगी गयी सूचना सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर पड़ती है लेकिन अधिनियम की धारा 6 में सूचीबद्ध एक या अधिक श्रेणियों में नहीं आती है, तो सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट होने पर आवेदक को प्रपत्र ''घ'' में अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाली सूचना देगा। यदि मांगी गयी सूचना अंशत: सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्र से बाहर है और अंशत: अधिनियम की धारा 6 में सूचीबद्ध श्रेणियों में पड़ती है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदक को केवल ऐसी जानकारी ही देगा जो अधिनियम के अन्तर्गत देय है व उसके क्षेत्राधिकार में पड़ती है तथा शेष भाग कारण बताते हुए रद्द करेगा।

(4) सूचना यथाशीघ्र सामान्यत: 15 दिन के भीतर और किसी भी दशा में आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दी जायेगी। शेष राशि, यदि कोई है, सूचना एकत्र करने से पहले प्राधिकृत व्यक्ति के पास जमा करानी होगी। आवेदक से सूचना प्राप्ति की एक उचित रसीद सूचना प्राप्ति के रूप में प्राप्त की जाएगी।

5. अपील:—(1) कोई भी व्यक्ति—

(क) जो प्रपत्र ''क'' जमा करने के तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी से प्रपत्र ''ख'' या ''ग'' में उत्तर पाने में विफल रहता है, अथवा

(ख) निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है,

लोक शिकायत निवारण आयोग को प्रपत्र ''ड'' में अपील दायर कर सकता है और नियम 8 के अनुसार अपील का शुल्क प्राधिकृत व्यक्ति के पास जाम करा सकता है,

(2) लोक शिकायत निवारण आयोग अपील प्राप्त होने पर, अपील प्राप्ति की रसीद देगा तथा आवदेक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा अपील प्रस्तुत किये जाने के तीस दिन के अन्दर उसके निपटारे की चेष्टा करेगा तथा निर्णय की प्रति संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

(3) (क) जहां अपील उपनियम 1 के खंड 'क' में विनिर्दिष्ट आधार पर प्रस्तुत की गई है वहां प्रपत्र ''क'' के प्रस्तुत करने की तारीख से 60 दिनों के पश्चात् कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां अपील उपनियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट आधार पर प्रस्तुत की गई है वहां उत्तर जारी होने की तारीख से तीस दिनों के पश्चात् उस उत्तर के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं होगी।

(4) यदि अपील स्वीकार होती है तो सक्षम प्राधिकारी अपील प्राधिकारी के आदेशानुसार उसके द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदक को सूचना देगा। यह अवधि, आदेश प्राप्ति की तारीख से, तीस दिन से अधिक नहीं होगी।

6. दंड :—(1) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देने के लिये जो भी बाध्य व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय में अधिनियम के अधीन मांगी गई सूचना देने में असफल रहता है या धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृति आदेश जारी करने में असमर्थ रहता है तो वह 30 दिन के पश्चात् विलम्बित अवधि के लिए, नियम 3 के अधीन प्रति आवदेन पर पचास रुपये प्रतिदिन व अधिकतम पांच सौ रुपये तक का दंड भोगने के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) जहां दी गई सूचना किसी विशेष तथ्यों में असत्य पाई जाती है और यह देने वाला बाध्य व्यक्ति जानता है या उसके पास उसकी असत्य मानने के उचित कारण है या जिसे वह सत्य न मानता हो, वह नियम 3 के अधीन एक हजार रुपये प्रति आवेदन दंड का भागीदार होगा।

7. **लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का स्वतः प्रकाशन.**—(1) लोक प्राधिकारी इस अधिनियम की धारा 4 के खंड (ख) के अनुसार निम्नलिखित अन्तरालों में सूचना पुस्तिका, फोल्डर और पाम्फ्लेट के माध्यम से प्रकाशित करेगा :—

क्र.सं.	प्रकाशित की जाने वाली सूचना का विवरण	अन्तराल
1.	संगठनों, कार्यों तथा कर्त्तव्यों का विवरण	पांच वर्षों में एक बार
2.	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियों तथा कर्त्तव्य एवं निर्णय लेने में अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी	दो वर्षों में एक बार
3.	कार्यों के निर्वहन के लिए लोक प्राधिकारी द्वारा इसके मानक	दो वर्षों में एक बार
4.	विधि, उपविधि, नियम, विनियम, विनिर्देश मैनुअल तथा उसके नियंत्रण के अधीन अन्य प्रवर्ग के अभिलेख जो उसके कर्मचारियों द्वारा कार्य के निर्वहन में उपयोग किये जाते हैं।	पांच वर्षों में एक बार
5.	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	वार्षिक
6.	सक्षम प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण	वार्षिक

(2) इस प्रकार सूचना जनता को, सूचना केन्द्रों, इन्टरनेट माध्यम तथा सक्षम प्राधिकारी तथा लोक शिकायत निवारण आयोग के कार्यालय में विशिष्ट स्थान पर नोटिस बोर्ड पर लगाकर भी उपलब्ध कराई जायेगी।

8. **शुल्क** :—(1) सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्राप्त करेगा—

(क) आवेदन शुल्क :—

(i) टेंडर दस्तावेजों/बोली/ कोटेशन/व्यापार संविदा से संबंधित सूचना	पाँच सौ रुपये प्रति आवेदन
(ii) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त सूचना	पचास रुपये प्रति आवेदन

(ख) अन्य शुल्क :—

क्र.सं.	सूचना का विवरण	मूल्य/शुल्क रुपयों में
1.	जहां सूचना मूल्यित प्रकाशन के रूप में उपलब्ध है	निर्धारित मूल्य पर .
2.	मूल्यित प्रकाशन के अतिरिक्त	पाँच रुपये प्रति पृष्ठ

(2) अपीली प्राधिकारी पचास रुपये प्रति अपील शुल्क प्राप्त करेगा

9. **सूचना के अधिकार के लिये राज्य परिषद्.**—(1) सूचना के अधिकार के लिये राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री/वित्त मंत्री (यदि मुख्यमंत्री, प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री है)।	सदस्य
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के तीन सदस्य	सदस्य
4.	मुख्य सचिव : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान सचिवों/सचिवों/विभागाध्यक्षों में से पाँच अधिकारी	सदस्य
6.	मीडिया (प्रिन्ट/इलैक्ट्रॉनिक) के दो प्रतिनिधि	सदस्य
7.	गैर सरकारी संस्थाओं के चार प्रतिनिधि	सदस्य
8.	आवासीय कल्याण संगठन के दो प्रतिनिधि	सदस्य
9.	उद्योग/व्यापार/वाणिज्य के दो प्रतिनिधि	सदस्य
10.	प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी सचिव	सदस्य सचिव

(2) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के तीन सदस्य जिसमें एक महिला होगी, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा राज्य परिषद् के सदस्यों के रूप में मनोनीत किये जायेंगे,

(3) सात सरकारी व दस गैर सरकारी राज्य परिषद् के सदस्य जो उपरोक्त क्रम संख्या 4, 5 व 10 तथा क्रम संख्या 6 से 9 पर सूचीबद्ध है सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे,

10. **अभिलेखों का रखरखाव** :—(1) सक्षम प्राधिकारी सूचना देने के लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों तथा प्राप्त शुल्क का अभिलेख रखेगा।

(2) लोक शिकायत निवारण आयोग सभी प्राप्त अपीलों तथा प्राप्त शुल्क का अभिलेख रखेगा।

प्रपत्र "क"

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रपत्र

[नियम 3 देखें]

आई. डी. सं.——————————
(कार्यालय प्रयोग हेतु)

सेवा में,

सक्षम अधिकारी

——————————————

——————————————

1. आवेदक का नाम :
2. पता :
3. सूचना का विवरण :— :
(क) संबंधित विभाग :
(ख) अपेक्षित सूचना का विवरण :
(1) अपेक्षित सूचना का ब्यौरा :
(2) अवधि जिसके लिए सूचना मांगी गई है :
(3) अन्य ब्यौरा :

4. मैं स्पष्ट करता हूँ कि अपेक्षित सूचना अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित प्रतिबंधों के अन्तर्गत नहीं आती तथा मेरे ज्ञान के अनुसार आपके कार्यालय से संबंधित है।

5. ——————————रुपये की फीस सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रसीद संख्या——————दिनांक——————द्वारा जमा करवा दी है।

आवेदक के हस्ताक्षर
ई-मेल पता, यदि कोई है
टेलिफोन सं. (कार्यालय)
(आवास)

नोट :—

1. प्रपत्र "क" भरने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा यथोचित सहायता प्रदान की जा सकती है।
2. कृपया सुनिश्चित करें कि प्रपत्र "क" सभी दृष्टियों से पूर्ण है तथा अपेक्षित सूचना के ब्यौरे प्रदान करने में अस्पष्टता नहीं है।

प्रपत्र "क" में आवेदन की पावती

आई. डी. सं.——————— दिनांक :

1. श्री——————————निवासी——————————————————————से दिल्ली अधिकार अधिनियम, 2001 की धारा 5 (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किया।
2. सामान्यत: सूचना 15 दिनों के भीतर तथा किसी भी दशा में आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर देने का प्रस्ताव है और यदि यह पाया जाता है कि मांगी गई सूचना नहीं दी जा सकती है तो अस्वीकृति पत्र में उसका कारण बताया जाएगा।
3. आवेदक से अनुरोध है कि वह अद्योहस्ताक्षरी से दिनांक——————————को प्रात: 11.00 बजे से 1.00 बजे के बीच संपर्क करें।
4. यदि आवेदक अधिसूचित तिथि (यों) को आने में असमर्थ रहता है तो सक्षम प्राधिकारी इस कारण हुई देरी के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
5. आवेदक को सूचना एकत्र करने से पहले प्राधिकृत व्यक्ति के पास शेष शुल्क, यदि कोई है, जमा करवानी होगी।

6. आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए समय-समय पर विभागीय बेवसाईट का उपयोग भी कर सकता है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर

ई-मेल पता :

वेबसाईट :

टेलीफोन नं.

दिनांक : दिनांक :

प्रपत्र "ख"

सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर

[नियम 4 (1) देखें]

प्रेषक—————————

सं. फा.——————————

सेवा में, दिनांक----------------

——————————————

——————————————

——————————————

महोदय/महोदया,

कृपया आई डी सं.——————————————दिनांक————————द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को————————के संबंध में सूचना प्रदान करने संबंधी अपने आवेदन पत्र के विषय में देखें।

2. अपेक्षित सूचना इस सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आती है तथा आपका आवेदन इसके साथ वापिस लौटाया जा रहा है।

*3. यह आपके दिनांक——————————को दी गई पावती के अतिक्रमण में है।

4. आपसे अनुरोध है कि संबंधित सक्षम अधिकारी को आवेदन करें।

भवदीय

सक्षम अधिकारी

ई-मेल पता

वेबसाईट :

टेलीफोन नं.——————

*जहां लागू न हो काट दें।

प्रपत्र "ग"

अस्वीकृति आदेश

[नियम 4 (6) देखें]

प्रेषक——————————

सं. फा.——————————

सेवा में,

——————————————

——————————————

——————————————

——————————————

महोदय/महोदया,

कृपया आई. डी. सं.——————————दिनांक————————द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को————————के संबंध में सूचना प्रदान करने संबंधी अपने आवेदन-पत्र के विषय में देखें।

2. मांगी गई सूचना निम्नलिखित कारणों से नहीं भेजी जा सकती :—

(i)

(ii)

3. दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम, 2001 की धारा 7 के अनुसार आप इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर जन शिकायत निवारण आयोग, दिल्ली सरकार को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय

सक्षम प्राधिकारी,
ई-मेल पता :
वेबसाईट :
दूरभाष संख्या :

प्रपत्र "घ"

आवेदक को सूचना देने का प्रपत्र

[नियम 4 (3) देखें]

प्रेषक——————————

सं. फा.———————

सेवा में,

——————————————

——————————————

——————————————

——————————————

महोदय/महोदया,

कृपया आई. डी. सं.—————————————— दिनांक —————— द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को ———————— के संबंध में सूचना प्रदान करने संबंधी आवेदन पत्र के विषय में देखें ।

2. मांगी गई सूचना संदर्भ के लिए संलग्न है*

या

निम्नलिखित आंशिक सूचना संलग्न की जा रही है*।

(i)

(ii)

अन्य पहलुओं पर शेष सूचना निम्नलिखित कारणों से नहीं प्रदान की जा सकती है* :—

(i)

(ii)

3. आपेक्षित सूचना इस सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आती है।*

4. दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम, 2001 की धारा 7 के अनुसार आप इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर जन शिकायत निवारण आयोग, दिल्ली सरकार को अपील दायर कर सकते हैं*।

भवदीय

सक्षम प्राधिकारी,
ई-मेल पता :
वेबसाईट :
दूरभाष संख्या :

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

3324 DG/2001-3

प्रपत्र ''ङ''

दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम, 2001 की धारा 7 (1) के अधीन अपील

[नियम 5 (1) देखें]

आई. डी. सं.————————
(कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

सचिव
जन शिकायत निवारण आयोग,
एम ब्लाक, विकास भवन,
नई दिल्ली–110 002.

1. आवेदक का नाम :
2. पता :
3. सक्षम प्राधिकारी का विवरण :
   (क) नाम :
   (ख) पता :
4. प्रपत्र ''क'' में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि :
5. प्रपत्र ''क'' के प्रस्तुतीकरण के बाद 30 दिन समाप्त होने की तारीख :
6. अपील का कारण :
   (क) प्रपत्र के [नियम 5 (1) (क)] के प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर प्रपत्र ''ख'' या ''ग'' में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ हो :
   (ख) निर्धारित अवधि [नियम 5 (1) (ख)] के भीतर प्राप्त उत्तर से :
   (उत्तर प्राप्ति की एक प्रति लगाएं)
   (ग) अपील के लिए आधार
7. अपील भरने के लिए अंतिम तारीख [कृपया नियम 5 (3) देखें] :
8. सूचना का विवरण :
   (i) प्रार्थित सूचना
   (ii) विषय :
   (iii) अवधि :

9. अपील के लिए 50/- रुपये का शुल्क दिनांक————————प्राप्ति संख्या————————————के अनुसार जन शिकायत निवारण आयोग में जमा करा दिया।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
ई–मेल पता, यदि कोई हो
दूरभाष सं. (कार्यालय)
(आवास)

————————————————————यहां से काटें————————————————————————

पावती

आई. डी. संख्या

दिनांक :

दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम, 2001 की धारा 7(1) के अधीन श्री————————————निवास————————————से अपील आवेदन प्राप्त किया।

प्राप्ति क्लर्क के हस्ताक्षर

जनशिकायत आयोग

दूरभाष संख्या

ई-मेल पता :

वेबसाइट

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के

आदेश से और उनके नाम पर,

एस. के. श्रीवास्तव, सचिव

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 19th October, 2001

No. F.17/3/2001/AR/11653—11952.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Delhi Right to Information Act, 2001 (Delhi Act No. 7 of 2001), the Government of Delhi hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Right to Information Rules, 2001.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Delhi Right to Information Act, 2001 (Delhi Act No. 7 of 2001);

(b) 'authorized person' means a person nominated by the competent authority to accept fee prescribed under these rules;

(c) 'Form' means the 'Form' appended to these rules;

(d) 'section' means a section of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meaning as assigned to them in the Act.

3. **Application for seeking information.**—Any person seeking information under the Act shall make an application in Form 'A' to the competent authority and deposit application fees as per rule 8 with the authorized person. The competent authority shall duly acknowledge the application as provided in Form 'A' :

Provided that a person who makes a request through electronic form shall ensure that the requisite fee is deposited in cash with the authorized person within seven days of his request sent through electronic form, failing which his application shall be treated as withdrawn by the applicant.

4. **Disposal of application by the competent authority.**—(1) If the requested information does not fall within the jurisdiction of the competent authority, it shall order return of the application to the applicant in Form 'B' as soon as practicable, normally within fifteen days and in any case within thirty days of the receipt of the application, advising the applicant, wherever possible, about the competent authority to whom the application should be made. The application fee

deposited in such cases shall not be refunded.

(2) If the requested information falls within the competent authority's jurisdiction and also in one or more of the categories of restrictions listed in section 6 of the Act, the competent authority, on being satisfied, will issue the rejection order in Form 'C' as soon as practicable, normally within fifteen days and in any case, within thirty days from the date of the receipt of the application.

(3) If the requested information falls within the competent authority's jurisdiction but not in one or more of the categories listed in section 6 of the Act, the competent authority, on being so satisfied, shall supply the information to the applicant in Form 'D', falling within his jurisdiction. In case, the information sought is partly outside the jurisdiction of the competent authority or partly falls in the categories listed in section-6 of the Act, the competent authority shall supply only such information as is permissible under the Act and is within its own jurisdiction and reject the remaining part giving reasons thereof.

(4) The information shall be supplied as soon as practicable, normally within fifteen days and in any case within thirty days from the date of the receipt of the application on deposit of the balance amount, if any, to the authorized person, before collection of information. A proper acknowledgement shall be obtained from the applicant in token of receipt of information.

5. **Appeal.**—(1) Any person—

(a) who fails to get a response in Form 'B', or Form 'C' from the competent authority within thirty days of submission of Form 'A', or

(b) is aggrieved by the response received within the prescribed period,

may appeal in Form 'E' to the Public Grievances Commission and deposit fee for appeal as per rule 8 with the authorized person.

(2) On receipt of the appeal, the Public Grievances Commission shall acknowledge the receipt of appeal and after giving the applicant an opportunity of being heard, shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date on which it is presented and send a copy of the decision to the competent authority concerned.

(3) (a) Where the appeal is filed on the ground specified in clause (a) of sub-rule (1) of this rule, no appeal shall be admissible after sixty days of the submission of the application in Form 'A'.—

(b) Where the appeal is filed on the ground specified at Rule in clause (b) of sub-rule (1) of this rule, no appeal shall be admissible after thirty days of the issue of the response appealed against.

(4) In case the appeal is allowed, the information shall be supplied to the applicant by the competent authority within such period as ordered by the appellate authority. This period shall not exceed thirty days from the date of the receipt of the order.

6. **Penalties.**—(1) Whoever being bound to supply information under sub-section (1) of section 5 of the Act fails to furnish the information asked for under the Act within the time specified or fails to communicate the rejection order under sub-section (2) of section 5 of the Act, shall be liable to pay a penalty of fifty rupees per day for the delayed period beyond thirty days subject to a maximum of five hundred rupees per application, filed under rule 3.

(2) Where the information supplied is found to be false in any material particular and which the person bound to supply it knows or has reasonable cause to believe it to be false or does not believe it to be true, the person supplying the information shall be liable to pay a penalty of one thousand rupees per application, filed under rule 3.

7. **Suo-motu Publication of Information by public authorities.**—(1) The public authority shall suo-motu publish information as per clause (b) of section 4 of the Act by publishing booklets, folders and pamphlets at the following intervals :

S.No.	Particulars of Information to be published	Interval
1.	Particulars of its organization, functions and duties.	Once in five years
2.	Powers and duties of its officers and employees and the procedure followed by them in the decision making process.	Once in two years
3.	Norms set by the public authority for the discharge of its functions.	Once in two years
4.	Laws, bye-laws, rules, regulations, instructions, manuals and other categories of records under its control used by its employees for discharging its functions.	Once in five years
5.	Details of facilities available to citizens for obtaining information.	Annually
6	Name, designation and other particulars of the competent authority.	Annually

(2) Such information shall also be made available to the public through information counters, medium of internet

and display on notice board at conspicuous places in the office of the competent authority and the Public Grievances Commission.

8. **Charging of Fee.**—(1) The competent authority shall charge the fee at the following rates, namely :—

(A) application fees

(i)	information relating to tender documents/bids/quotation/business contracts;	five hundred rupees per application
(ii)	information other than (a) above	fifty rupees per application

(B) Other Fees—

S.No.	Description of Information	Price/Fees in Rupees
1.	where the information is available in the form of a priced publication.	Price so fixed
2.	for other than priced publication.	Five rupees per page

(2) The appellate authority shall charge a fee of fifty rupees per appeal.

9. **State Council for Right to Information.**—(1) The State Council for Right to Information shall consist of the following members :

1.	Chief Minister	Chairman
2.	Minister Incharge of the Administrative Reforms Department/Finance Minister (if Chief Minister is the Minister In-charge of the Department of Administrative Reforms).	Member
3.	Three Members of the Legislative Assembly of NCT of Delhi	Member
4.	Chief Secretary, Government of NCT of Delhi	Member
5.	Five officers from amongst Principal Secretaries/Secretaries/Head of Departments, Government of NCT of Delhi	Members
6.	Two representatives of the Media (Print/Electronic)	Members
7.	Four representatives of non government institutions	Members
8.	Two representatives of resident welfare associations	Members
9.	Two representatives of industry/trade/commerce	Members
10.	Secretary incharge of the Department of Administrative Reforms	Member Secretary;

(2) The three members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, of whom one shall be woman, shall be nominated as members of the State Council for Right to Information by the Speaker of the Legislative Assembly.

(3) The seven officials and ten non-official members of the State Council, as listed above at serial numbers 4, 5 and 10 and from serial numbers 6 to 9 respectively, shall be nominated by the Government.

10. Maintenance of Records.—(1) The competent authority shall maintain records of all applications received for supply of information and fee charged.

(2) The Public Grievances Commission shall maintain records of all appeals filed before it and fee charged.

Form 'A'

Form of application for seeking information

(See rule 3)

I.D. No.__________.

(For official use)

To

The Competent Authority,

....

....

1. Name of the Applicant
2. Address
3. Particulars of information.—
   (a) Concerned department :

33240 6/2001-4

(b) Particulars of information required :

(i) Details of information required :

(ii) Period for which information asked for :

(iii) Other details :

4. I state that the information sought does not fall within the restrictions contained in Section 6 of the Act and to the best of my knowledge it pertains to your office.

5. A fee of Rs. ——— has been deposited in the office of the Competent Authority vide No. ——— dated —.

Place :

Date :

Signature of Applicant
E-Mail address if any:
Tel. No. (Office)———
(Residence)———

Note :— (i) Reasonable assistance can be provided by the Competent Authority in filling up the Form A.
(ii) Please ensure that the Form A is complete in all respect and there is no ambiguity in providing the details of information required.

Acknowledgement of Application in Form - A

I. D. No. ——— Dated :

1. Received an application in Form A from Shri/Ms.——— resident of——— under Section 5(1) of the Delhi Right to Information Act, 2001.
2. The information is proposed to be given normally within 15 days and in any case within 30 days from the date of receipt of application and in case it is found that the information asked for can not be supplied, the rejection letter shall be issued stating reason thereof.
3. The applicant is advised to contact the undersigned on ——— between 11 A.M. to 1 P.M.
4. In case the applicant fails to turn up on the scheduled date(s), the Competent authority shall not be responsible for delay, if any.
5. The applicant shall have to deposit the balance fee, if any, with the authorized person before collection of information.
6. The applicant may also consult Web-site of the department from time to time to ascertain the status of his application.

Signature and Stamp of the
Competent Authority
E—mail address :
Web—site :
Tel No.

Dated . . . .

Form 'B'

Outside the Jurisdiction of Competent Authority

[See rule 4(1)]

From———.

No. F. ———. Date :

To,

———,

———,

———,

———.

Sir/Madam,

Please refer to your application, I.D. No. ——— dated ——— addressed to the undersigned regarding supply of information on———.

2. The requested information does not fall within the jurisdiction of this Competent Authority and, therefore, your application is being returned herewith.

*3. This is in supersession of the acknowledgement given to you on ——————————.

4. You are requested to apply to the concerned Competent authority :

Yours faithfully,

Competent Authority

E-Mail address :

Web-site :

Tel No. ————

*Strike out wherever not applicable.

Form 'C'

Rejection Order

[See rule 4(2)]

From ——————————.

No. F. —————————. Date :

To,

——————————,

——————————,

——————————,

——————————,

Sir/Madam,

Please refer to your application, I.D. No. ———— dated ———— addressed to the undersigned regarding supply of information on ——————————.

2. The information asked for cannot be supplied due to following reasons :—

(i)

(ii)

3. As per Section 7 of Delhi Right to Information Act, 2001, you may file an appeal to the Public Grievances Commission, Government of Delhi, within 30 days of the issue of this order.

Yours faithfully,

Competent Authority

E-Mail address :

Web-site :

Tel No. ————

Form 'D'

Form of supply of information to the applicant.

[See rule 4(3)]

From ——————————.

No. F. —————————. Date :

To,

——————————,

——————————,

————————————,

————————————,

Sir/Madam,

Please refer to your application, I.D. No. ———— dated ———— addressed to the undersigned regarding supply of information on ————————————————————————.

2. The information asked for is enclosed for reference.*

Or

The following partly information is being enclosed.*

(i)

(ii)

The remaining information about the other aspects cannot be supplied due to following reasons—*

(i)

(ii)

(iii)

3. The requested information does not fall within the jurisdiction of this Competent Authority.*

4. As per Section 7 of Delhi Right to Information Act, 2001, you may file an appeal to the Public Grievances Commission, Government of Delhi, within 30 days of the issue of this order*.

Yours faithfully,

Competent Authority
E-Mail address :
Web-site :
Tel No. ————

*Strike out if not applicable.

Form 'E'

Appeal under Section 7(1) of the Delhi Right to Information Act, 2001

[See rule 5(1)]

I.D. No.————.
(For official use)

To

The Secretary,
Public Grievances Commission
M Block, Vikas Bhawan
New Delhi-110002

1. Name of the Applicant :
2. Address :
3. Particulars of the Competent authority :
   (a) Name :
   (b) Address :
4. Date of submission of application in Form-A :
5. Date on which 30 days from submission of Form A is over :
6. Reasons for appeal :
   (a) No response received in Form B, or C within 30 days of submission of Form A [Rule 5(1)(a)] ☐
   (b) Aggrieved by the response received within prescribed period [Rule 5(1)(b)] (A copy of the reply receipt be attached) ☐
   (c) Grounds for appeal.

7. Last date for filing the appeal. [Please see Rule 5(3)] :
8. Particulars of Information—
   (i) Information requested :
   (ii) Subject :
   (iii) Period :
9. A fee of Rs. 50/- for appeal has been deposited in P.G.C. vide receipt No. ——————— dated ———————.

Place :
Date :

Signature of Appellant
E-Mail address, if any :
Tel. No. (Office)————
(Residence)————

....Cut from here..

Acknowledgement

I. D. No.———————— Dated :

Received an Appeal application from Shri———————————— residnet of———————————————— under Section 7(1) of the Delhi Right to Information Act, 2001.

Signature of Receipt Clerk,
Public Grievances Commission.
Tel No.————
E-Mail address————
Web-site————

By order and in the name of the
Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi.
S.K. SRIVASTAVA, Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2001

संख्या No. F. 17(1)(6)(1)/Med/DHS/2001/6528.—दिल्ली फार्मेसी काउन्सील के चुनाव नामांकन पत्र के वापसी के पश्चात् सूची

क. सं.	प्रार्थी का नाम	पता	पंजीकरण संख्या
1	2	3	4
1.	श्री अजीत कुमार	बी-245, सरूप नगर, दिल्ली	8673
2.	श्री अशोक कुमार	ए-8/84, सैक्टर-6, रोहिणी, दिल्ली	5123
3.	श्री अश्वनी कुमार	ए-/41बी, लारेन्स रोड, दिल्ली—35	4029
4.	श्री अनिल कुमार शर्मा	सी-7/3ए, माडल टाउन-3, दिल्ली—9	4616
5.	श्री अंजन कृष्ण अधिकारी	सेंट स्टीफन अस्पताल, तीस हजारी, दिल्ली	8056
6.	श्री अजय कुमार शर्मा	1/3050, रामनगर एक्स, मण्डोली रोड, दिल्ली	4527
7.	श्री अशोक कुमार	टी.पी-56, मौर्य एन्कलेव, पीतम पुरा, दिल्ली	2984
8.	श्री अनिल कुमार	म. नं.-बी-1855, शास्त्री नगर, दिल्ली	5399
9.	श्री आजाद सिंह गुलिया	314, मंगोल पुर कलां, दिल्ली-85	3440

3324 DG/2001-5

1	2	3	4
10.	श्री बलदेव कुमार	19 जी, सैक्टर-4, गोल मार्किट, नई दिल्ली	4867
11.	श्री धीरज भागड़ा	बी एन 54, पूर्वी शालीमार बाग, दिल्ली	2780
12.	श्री दिनेश मदान	ई-16, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	4035
13.	श्री हरीश चन्द्र	695, मुकीम पुरा, सब्जी मण्डी, दिल्ली-7	5118
14.	श्री हीलाल अहमद	1650, लाल कुआं, दिल्ली-6	4579
15.	श्री इन्द्र सिंह	डी-1, वैस्ट ज्योति नगर, गली नं-9, दिल्ली-94	3857
16.	श्री ईश्वर सिंह कर्दम	408/2, समयपुर, दिल्ली-42	4204
17.	श्री जय कुमार	मं. नं०-849, कंझावला, दिल्ली-81	5972
18.	श्री कुलदीप सिंह डबास	गांव व पो. आफिस माजरा डबास, दिल्ली	4636
19.	श्री कुलभूषण मंगला	एफ-159, प्रशांत विहार, दिल्ली-85	4393
20.	श्री कुलभूषण गुप्ता	एफ-162/जी-2, दिलशाद कालोनी, दिल्ली	3863
21.	श्री कृष्ण लाल	डी-198, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-27	1349
22.	श्री लक्ष्मी नारायण	1246, शाह चौक, मुबारक बाजार सीताराम, दिल्ली	2727
23.	श्री मृदुल त्यागी	गली नं०-10, गांव वजीराबाद, पो.आ. बुराड़ी, दिल्ली	10648
24.	श्री नीरज यादव	एच-3, आई डी.पी.एल अपार्टमेंट, रोड नं०-44, प्रीतम पुरा, दिल्ली	11580
25.	श्री नरेन्द्र सिंह नरूला	डी-11/7, माडल टाउन, दिल्ली-9	1156
26.	श्री नेत्र भूषण	सी-20/1, सी. सी. कालोनी, दिल्ली-7	3874
27.	श्री ओ.पी. शर्मा	313/61, एच, आनन्द नगर, इन्द्रलोक, दिल्ली-35	1077
28.	श्री प्रमोद अग्रवाल	3478/1, नारंग कालोनी, त्रिनगर, दिल्ली-8	7879
29.	श्री प्रदीप सिंह	3263, टाप फलोर, रणजीत नगर, नई दिल्ली	6283
30.	श्री प्रणीत कुमार महाजन	ए-147, विकास पुरी, नई दिल्ली-18	3189
31.	श्री पीयूष वोहरा	864, डा. जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली	4218
32.	श्री पंकज अग्रवाल	सी-112, मजलिस पार्क, आजादपुर के सामने दिल्ली-33	6002
33.	श्री रेवती प्रसाद शर्मा	एफ-45, द्वारका पुरी नवीन शाहदरा, दिल्ली	3048
34.	श्री रीपन वधवा	78, राजा गार्डन, नई दिल्ली-15	9329
35.	श्री राजीव भाटिया	डब्ल्यू. जैड-76 बी-1, विरेन्द्र नगर, नई दिल्ली	4557
36.	श्री रवि नारंग	ए. आई-122, लाजपत नगर, नई दिल्ली	3820
37.	श्री रमेश गुप्ता	डी-48/2, गली नं.-5, न्यू गोविन्द पुरा, दिल्ली	4192
38.	श्री रविन्द्र कुमार भाटिया	बी-177, अशोक विहार, फेज—1, दिल्ली	2989
39.	श्री सुशील कुमार दीवान	15, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली-5	2576
40.	श्री सुनील गडी	आर-44, इन्द्र पुरी, नई दिल्ली-12	4148
41.	श्री सतीश कुमार पराषर	सी-106, यादव नगर, समयपुर, दिल्ली-42	8757
42.	श्री संजीव कुमार जैन	म.नं.-6, जनता मैडीकोज, लिबासपुर, दिल्ली-42	8666
43.	श्री सुरेन्द्र मोहन शर्मा	1/3929, भगवानपुर खेड़ा, लोनी रोड़, शाहदरा, दिल्ली	4284
44.	श्री सुरज प्रकाश अग्रवाल	जे-194, साकेत, नई दिल्ली-17	6058
45.	श्री संजीव अरोड़ा	पाकेट-ए-3/19, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-85	6939
46.	श्री सुनील कुमार जैन	ए.पी. 17 ए, पीतम पुरा, दिल्ली—88	2311
47.	श्री सुनील कुमार	बी-98, शिवाजी विहार, राजौरी गार्डन, दिल्ली	6128
48.	श्री उमेश भारद्वाज	2/42, युधिष्ठिर गली, विश्वास नगर, दिल्ली	4171
49.	श्री विजय कुमार	ई-4, झिलमिल कालोनी, दिल्ली-95	3829

एन . सी. राय , अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 19th October, 2001

Elections of Delhi Pharmacy Council

No. F. 17(10)(6)(1)/Med./DHS/2001/6528.—The following is published for general information :—

LIST OF THE CANDIDATES AFTER THE WITHDRAWAL

Sl. No.	Name of the Candidate	Address	Regn. No.
1	2	3	4
01	Sh. Ajit Kumar	B-245, Saroop Nagar, Delhi	8673
02	Sh. Ashok Kumar	A-8/84, Sec-16, Rohini, Delhi	5123
03	Sh. Ashwani Kumar	A-1/41 B, Lawrence Road, Delhi-35	5123
04	Sh. Anil Kumar Verma	C-7/3 A Model town III, Delhi-9	4616
05	Sh. A.K. Adhikari	St. Stephens hospital Tis Hazari	8056
06	Sh. Ajay Kumar Sharma	1/3085, Ram Nagar Ext. Mandoli Road, Delhi	4527
07	Sh. Ashok Kumar	TP-56, Maurya Enclave, Pitam Pura, Delhi	2984
08	Sh. Anil Kumar	H. No. B-1855, Shastri Nagar, Delhi	5399
09	Sh. Azad Singh Gulia	314, Mangol pur kalan Delhi-85	3440
10	Sh. Baldev Kumar	19 G, Sec-iv Gole Market, New Delhi	4867
11	Sh. Dhiraj Bhagra	BN-54, East Shalimar Bagh Delhi.	2780
12	Sh Dinesh Madan	E-16, Green Park New Delhi.	4035
13	Sh. Harish Chander	695, Mukim Pura Subzi Mandi, Delhi-7	5118
14	Sh. Hilal Ahmed	1650 lal Kuan Delhi-6	4579
15	Sh. Inder Singh	D-1, West Jyoti Nagar, Gali No. 9 Delhi-94	3857
16	Sh. Ishwar Singh Kardam	408/2 Samaipur Delhi-42	4204
17	Sh. Jai Kumar	H. No. 849 Kanjhawla Delhi-81	5972
18	Sh. Kuldeep Singh Dabas	Village & P.O. Majra Dabas, Delhi-81	4636
19	Sh. Kulbhushan Mangla	F-159 Parshant Vihar Delhi-85	4393
20	Sh. Kulbhushan Gupta	F-162/G-2, Dilshad Colony Delhi.	3863
21	Sh. Krishan Lal	D-198, Tagore Garden, New Delhi-27	1349
22	Sh. Lakshmi Narain	1246, Chow Shah, Mubarik, Sita Ram Bazar, Delhi-6	2727
23	Sh. Mirdul Tyagi	Village Wazirabad, gali No. 10, P.O., Burari, Delhi	10648
24	Sh. Neeraj Yadav	H-3, I.D.P.L. Appartments Pitam Pura Road No. 44, New Delhi-34.	11580
25	Sh. Narinder Singh Narula	D-11/7 Model Town, Delhi-9	1156
26	Sh. Netra Bhushan	C-20/1C.C. Colony, Delhi-7	3874
27	Sh. O.P. Sharma	313/61 H. Anand Nagar, Inderlok, Delhi-35	1077
28	Sh. Parmod Aggarwal	3478/1 Narang Colony, Tri Nagar, Delhi-8	7879
29	Sh. Pardeep Singh	3263 Top Floor Ranjeet Nagar, New Delhi.	6283
30	Sh. Parneet Kumar Mahajan	A-147, Vikas Puri, New Delhi-18	3189
31	Sh. Piyush Vora	864, Dr. Joshi Road Karol Bagh, New Delhi	4218
32	Sh. Pankaj Agarwal	C-312, Majlis Park Opp. Azadpur, Delhi	6002
33	Sh. Revti Prasad Sharma	F-45, Dwarka Puri, Navin Shahdara, Delhi	3048
34	Sh. Ripan Wadhwa	78, Raja Garden, New Delhi-110015.	9329
35	Sh. Rajiv Bhatia	WZ-76B1, Virender Nagar, New Delhi.	4527
36	Sh. Ravi Narang	AI 122, Lajpat Nagar, New Delhi-24.	3820
37	Sh. Ramesh Gupta	D-48/2, Gali No. 5, New Govind Pura, Delhi	4192
38	Sh. Ravinder Kumar Bhatia	B-177, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-52.	2989

1	2	3	4
39	Sh. Sushil Kumar Dewan	15, Anand Parbat, New Delhi-5	2576
40	Sh. Sunil Gadi	R-44, Inder Puri, New Delhi-12.	4148
41	Sh. Satish Kumar Prashar	C-106, Yadav Nagar, Samai pur, Delhi-42.	8757
42	Sh. Sanjeev Kumar Jain	H. No. 6 Janta Medicos, Lipas Pur, Delhi-42.	8666
43	Sh. Surender Mohan Sharma	1/3929, Bhagwan pur, Khera Loni Road, Shahdara, Delhi-32.	4284
44	Sh. Suraj Prakash Agarwal	J-194, Saket, New Delhi-17.	6058
45	Sh. Sanjeev Arora	Pocket A-3/19, Sector-7, Rohini, Delhi-85.	6939
46	Sh. Sunil Kumar Jain	AP-17 A, Pitam Pura, Delhi-88.	2311
47	Sh. Sunil Kumar	B-98, Shivaji Vihar, Rajouri Garden, New Delhi-27.	6128
48	Sh. Umesh Bhardwaj	2/42, Yudhishther Gali, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-32.	4171
49	Sh. Vijay Kumar	E-4, Jhilmil Colony, Delhi-95.	3829

N. C. RAY, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.